



2026:AHC: 11374

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43339/2025

मदरसा एकरा रहनुमाये मिल्लत

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

"i). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 को नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर (प्रत्यर्थी संख्या 2) के न्यायालय में लंबित वाद/वाद संख्या 5590 वर्ष 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202505310305590 (मदरसा एकरा रहनुमाये मिल्लत द्वारा इसके अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम मदरसा एकरा द्वारा मुतवल्ली अमजदुल्ला) को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 35 के अंतर्गत, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रतिदिन के आधार पर शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।"

2- इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, नायब तहसीलदार, सदर, जनपद गोरखपुर के हस्ताक्षर के अंतर्गत प्राप्त निर्देश दिनांक 13.01.2026 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।

3- उपरोक्त निर्देशों में यह कहा गया है कि मामले में अगली नियत तिथि 22.01.2026 है और अवर न्यायालय उपरोक्त वाद का गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से निर्णीत करेगा।

4- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रत्यर्थी-नायब तहसीलदार, सदर, जनपद गोरखपुर को उपरोक्त वाद का अत्यंत शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश देते हुए किया जाता है, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

16 जनवरी, 2026

स्वाति